



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2008/पौष 20, 1929

No. 53]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2008/PAUSA 20, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2008

(आयकर)

का.आ. 75(अ).—जबकि आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा फिनलैंड गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) की मद (ii) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 तथा धनकर अधिनियम, 1975 (1975 का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत गणराज्य तथा फिनलैंड गणराज्य के सक्षम प्राधिकारी उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) की मद (ii) में उल्लिखित संस्थाओं की सूची में फिनवेरा तथा फिनिश एक्सपोर्ट क्रेडिट को शामिल करने के लिए सहमत हो गए हैं।

और जबकि फिनलैंड गणराज्य के सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 15 फरवरी, 2007 के अपने पत्र के तहत भारत गणराज्य की सरकार के सक्षम प्राधिकारी से पेशकश की है कि वे उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) की मद (ii) में उल्लिखित उन संस्थाओं की सूची में फिनवेरा तथा फिनिश एक्सपोर्ट क्रेडिट को शामिल करने पर विचार करें और भारत के सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 28 अगस्त, 2007 के अपने अ.शा. पत्र सं. 501/13/80 वि.क.प्र.-1 के तहत उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति सूचित कर दी है तथा एतद्वारा उक्त अभिसमय के अन्तर्गत यथा अपेक्षित मामलों में सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पारस्परिक करार तैयार किया जा रहा है।